



गेपसागर झील पर वन विभाग की ओर से दो दिवसीय मध्य शीतकालीन पक्षी गणना की गई। गणना में पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम पक्षी दिखाई दिए।

‘सफाई, अतिक्रमण और यातायात की समस्या से कैसे निपट रहा है प्रशासन?’

जयपुर, 31 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त और डीसीपी ट्रैफिक को 10 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि सफाई, अतिक्रमण, यातायात और पार्किंग सहित, आवागमन पशुओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की गई है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने ये आदेश शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के संबंध में लिए स्वर्णित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, मामले से जुड़े अधिकृत विमल चौधरी व योगेश टेलर ने बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के पास मॉनिटरिंग के लिए आया था। हाईकोर्ट ने इन समस्याओं की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी भी गठित की, लेकिन कमेटी कुछ काम नहीं कर

■ हाई कोर्ट ने निगम आयुक्त और डीसीपी ट्रैफिक को जवाब तलब किया।

रही और केवल कामजों में ही काम हो रहा है। शहर में जगह-जगह कचरा फैला हुआ है, हर रोड पर ट्रैफिक जाम है और सड़कों पर आवागमन घुम रहा है। ऐसे में अदालत ने आदेशों की पालना नहीं हो रही है और राज्य सरकार व नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार हैं। वहीं, राज्य सरकार की ओर से एएजी जीएस गिल ने कहा कि इन सभी समस्याओं को लेकर कार्रवाई हो रही है और इनका निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने तीनों अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए हैं। गौतमलाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर नगर निगम बनाम लेखाराज सोनी के मामले में 31 अक्टूबर 2014 को राजस्थान हाईकोर्ट को जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के मुद्दे पर पीआईएल दर्ज करने के लिए कहा था। इसके बाद से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की जा रही है।

‘चुनाव आयोग मतदान के वीडियो क्लिप सुरक्षित रखे’

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखे। मुख्य न्यायाधीश जे.ए. खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखने का आयोग को निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, हम प्रतिवादी संख्या 1 को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बनाए रखने का निर्देश देना उचित समझते हैं, जैसा

कि वे पहले कर रहे थे।

अदालत ने चुनाव आयोग के अधिकृत विमल चौधरी व योगेश टेलर को जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद यह निर्देश दिया और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखने का आयोग को निर्देश दिया।

सिंह ने भारत भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अगस्त 2024 में चुनाव आयोग के पत्राचार की वैधता को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।

अदालत ने चुनाव आयोग के अधिकृत विमल चौधरी व योगेश टेलर को जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद यह निर्देश दिया और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखने का आयोग को निर्देश दिया।

सिंह ने भारत भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अगस्त 2024 में चुनाव आयोग के पत्राचार की वैधता को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।

सिंह ने भारत भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अगस्त 2024 में चुनाव आयोग के पत्राचार की वैधता को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।

दो टिप्पणियों के नाम रहा, संसद के बजट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने इस बयान की कड़ी निंदा की तथा इसे “अभिजात्य, गरीब-विरोधी तथा आदिवासी-विरोधी” बताया।

उन्होंने “एक्स” पर लिखा, “मैं तथा भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिये श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रयुक्त शब्द “पुनर्र्थिग” की कड़ी निन्दा करते हैं। ऐसी शब्दावली का जानबूझ कर प्रयोग करना कांग्रेस पार्टी की अभिजात्य, गरीब-विरोधी तथा आदिवासी-विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। मैं माँग करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का विधान सभा के आदिवासी समुदाय से बिना शर्त माफी माँगी।

केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इसे राष्ट्रपति का “अभूतपूर्व अपमान” बताया है।

उन्होंने कहा, “जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति के लिये, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी तथा उनके पुत्र लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया, मैं तो उनकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इसके अलावा उनसे और आशा भी क्या की जा सकती है?”

केन्द्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस विवाद को कांग्रेस के सैद्धांतिक झुकावों से जोड़ा है। बंगाल के भाजपा नेता मजूमदार ने कहा, “एक समय था, जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती थी। जब से राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है, उनके सारे सलाहकार जेएनयू से निकले घोर वामपंथी हैं। यही कारण है कि उनकी सारी नीतियाँ तथा बयान सभी संवैधानिक पदों का अपमान करने वाले हैं। एक आदिवासी महिला, जो भारत का प्रथम नागरिक बनने की स्थिति तक पहुँची है, के लिए और उनके भाषण के

लिये इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा कांग्रेस से ही की जा सकती है।”

भाजपा आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति का अपमान किये जाने के तरीके का एक हिस्सा है।

उन्होंने “एक्स” पर लिखा, “सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति को “पुनर्र्थिग” कहा जाना, इस उच्च पद को नीचा दिखाना तथा उनकी सामंती सोच को उजागर करता है। यह पहला अवसर नहीं है, जब कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसानी देश की पहली आदिवासी महिला को हँसी उड़ाई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो प्रायः संविधान की प्रति दिखाते रहते हैं, राष्ट्रपति से शिष्टाचार भंग करने के लिए भी नहीं गये हैं। कांग्रेस के मन में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान, संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक रूप

से उपेक्षित प्रभूमि वाले समुदायों, जैसे दलित, ओबीसी, आदिवासी आदि के लिये कोई सम्मान नहीं है।”

भाजपा प्रवक्ता गौरव पाटिया ने भी यही बातें दोहराई हैं। उन्होंने “एक्स” पर लिखा है, सोनिया गांधी ने यह कहकर नहीं कर सकता कि गांधी परिवार का एक हिस्सा है। उन्होंने “एक्स” पर लिखा, “सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति को “पुनर्र्थिग” कहा जाना, इस उच्च पद को नीचा दिखाना तथा उनकी सामंती सोच को उजागर करता है। यह पहला अवसर नहीं है, जब कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसानी देश की पहली आदिवासी महिला को हँसी उड़ाई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो प्रायः संविधान की प्रति दिखाते रहते हैं, राष्ट्रपति से शिष्टाचार भंग करने के लिए भी नहीं गये हैं। कांग्रेस के मन में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान, संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक रूप

से उपेक्षित प्रभूमि वाले समुदायों, जैसे दलित, ओबीसी, आदिवासी आदि के लिये कोई सम्मान नहीं है।”

भाजपा प्रवक्ता गौरव पाटिया ने भी यही बातें दोहराई हैं। उन्होंने “एक्स” पर लिखा है, सोनिया गांधी ने यह कहकर नहीं कर सकता कि गांधी परिवार का एक हिस्सा है। उन्होंने “एक्स” पर लिखा, “सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति को “पुनर्र्थिग” कहा जाना, इस उच्च पद को नीचा दिखाना तथा उनकी सामंती सोच को उजागर करता है। यह पहला अवसर नहीं है, जब कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसानी देश की पहली आदिवासी महिला को हँसी उड़ाई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो प्रायः संविधान की प्रति दिखाते रहते हैं, राष्ट्रपति से शिष्टाचार भंग करने के लिए भी नहीं गये हैं। कांग्रेस के मन में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान, संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक रूप

आतंकवादी राणा का प्रत्यर्पण शीघ्र होगा

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। मुंबई में 26 नवंबर 2008 के आतंकवादी हमले के सूत्रधार तहखुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है और अब भारत एवं अमेरिका की सरकारों के बीच प्रक्रिया को लेकर काम शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2025 को आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब हम मुंबई आतंकी हमले के आरोपी के भारत प्रत्यर्पण के लिए प्रक्रियात्मक मुद्दों पर अमेरिकी पक्ष के साथ काम कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि इस बारे में होने वाली प्रगति की सूचना साझा की जाएगी।

हत्याकांड के आरोपी मोनु मानेसर की जमानत याचिका खारिज

जयपुर, 31 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने हरियाणा के भिवानी में भरतपुर के जुनैद और नासिर की जलाकर हत्या करने के मामले में मोहित उर्फ मोनु मानेसर सहित, अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश मोहित व अनिल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जमानत याचिका में अधिकृत अधिकृत राणा ने कहा गया कि मौके पर याचिकाकर्ता मौजूद नहीं था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं है। वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों

■ 16 फरवरी 2023 को कार में मिली दो अथजली लाशों के मामले में हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।

ने भी अपने बयान में माना है कि याचिकाकर्ता मौके पर नहीं था। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील और

पीडित पक्ष के अधिकृत एएसए अली ने कहा कि मानेसर घटना के मुख्य अभियुक्त से फोन पर संपर्क में था और वह पड़वंत्र में शामिल था। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 16 फरवरी, 2023 को हरियाणा के भिवानी में एक कार में दो अथजली लाशें मिली थीं। पुलिस को जांच में पता चला कि ये लाशें भरतपुर के घाटमिका गांव में रहने वाले जुनैद और नासिर की थीं। मामले में पुलिस ने मोनु मानेसर और अनिल सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली में आप के 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ी

इस्तीफा देने वाले सभी विधायकों ने टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को पार्टी छोड़ने की वजह बताई

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (आप) के सात विधायकों ने शुक्रवार को इस्तीफे का पत्र दायर कर दिया। आप के सात विधायकों, राजेश ऋषि, नरेश यादव, रोहित कुमार महारौलिया, भावना गौड़, भूपेंद्र सिंह जून, मदन लाल और पवन शर्मा ने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की। इन सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने और आप में भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताई।

जनकपुरी से दो बार के विधायक

■ जनकपुरी से दो बार विधायक रहे राजेश ऋषि ने कहा, “आम आदमी पार्टी एक अनियंत्रित गिरोह के लिए स्वर्ग बन गई है। पार्टी का नेतृत्व भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तानाशाही का पर्याय बन गया है।

राजेश ऋषि ने अरविंद केजरीवाल को भेजे इस्तीफे में आरोप लगाया कि पार्टी मूल सिद्धांतों को त्यागकर भ्रष्टाचार में डूब गई है। उन्होंने आप को एक अनियंत्रित गिरोह बताया हुए लिखा, ‘आम आदमी पार्टी एक अनियंत्रित गिरोह के लिए लिए स्वर्ग बन गई है।

पार्टी का नेतृत्व भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तानाशाही के साथ पर्यायवाची हो गई है। आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को भेजे पत्र में लिखा, आम आदमी पार्टी जिस ईमानदार विचारधारा पर बनी थी उससे

पार्टी भटक चुकी है। कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने केजरीवाल को भेजे इस्तीफे में कहा है कि अब उनका पार्टी में विश्वास नहीं रहा। महारौली के विधायक नरेश यादव ने भी पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है। विधायकों के पार्टी से इस्तीफे पर आम विधायक ऋतुराज झा ने भाजपा पर विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे भी पार्टी छोड़ने का लालच दिया गया था।

आईएस नियुक्ति में गैर आईएस अभ्यर्थियों का “कोटा” बनाये जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया

आरएएस एसोसिएशन की एसएलपी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा लगाये गये 5 लाख रूपए के जुर्माने को घटाकर दो लाख रूपए कर दिया और कहा नियुक्तियां नियमानुसार की गई थीं

जयपुर, 31 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईएस से आईएस में पदोन्नति के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से गत 5 दिसंबर को दिए फैसले को बरकरार रखते हुए आरएएस एसोसिएशन की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि गैर आईएस अफसरों को आईएस सेवा में पदोन्नति देने की प्रक्रिया में राज्य सरकार की ओर से नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। ये पदोन्नति आईएस भर्ती नियम, 1954 के तहत पूरी तरह से वैध है। हालांकि अदालत ने मामले में हाईकोर्ट की ओर से आरएएस एसोसिएशन पर लगाए पांच लाख रूपए के हर्जाने को घटाकर दो लाख रूपए कर दिया है।

राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल

■ आईएस भर्ती नियम 1954, के अनुसार, केवल विशेष परिस्थितियों में आईएस नियुक्ति में 15 प्रतिशत अभ्यर्थी गैर आरएएस हो सकते हैं।

■ याचिकाकर्ता एसोसिएशन का आरोप था कि पिछली गहलोल सरकार ने बिना कोई वजह बताये इस “प्रावधान” को “कोटा” बनाकर गैर आरएएस अफसरों की आईएस पदों पर नियुक्ति की सिफारिश की थी।

शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, अब गैर आरएएस सेवा वाले अफसरों की आईएस सेवा में पदोन्नति पर भी सर्वोच्च अदालत की अंतिम स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, आरएएस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने गैर आरएएस सेवा से आईएस सेवा में पदोन्नति का रास्ता

साफ कर इस पर लगी रोक हटा दी थी। इसके साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली आरएएस एसोसिएशन पर पांच लाख रूपए का हर्जाना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एसोसिएशन ने गैर आरएएस सेवा से होने वाली पदोन्नति को रोकने के उद्देश्य और अपने निजी हितों के चलते यह

‘हमने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुझाव के बाद विधानसभा में विधायकों की टूट्टी का रास्ता भी बदल दिया गया है। इसके अलावा, सदन में कई छोटे-मोटे बदलाव भी किए गए हैं। दक्षिणी कोने में टेंट लगाया है।

‘रोहिग्या शरणार्थियों का विस्तृत ब्यौरा दें, वे कहाँ बस रहे हैं और कितनी संख्या में हैं’

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शरणार्थियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने की गुहार पर याचिकाकर्ता से दिल्ली में रोहिग्या लोगों के रहने के स्थान के संबंध में शुक्रवार को ब्यौरा मांगते हुए एसे रिकॉर्ड में लाने को कहा। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) रोहिग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव को आरोप से दायर उस याचिका को सुनवाई के दौरान यह बात कही, जिसमें बच्चों को स्कूलों में दाखिले के लिए दिल्ली सरकार को आवश्यक निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। पीठ ने एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिकृत कौलिन गौजालिच से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि रोहिग्या कहाँ रह रहे हैं। उनके रहने के कौन से इलाके हैं। अपनी जनहित याचिका में एनजीओ ने शीर्ष अदालत से दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 2024 को जारी किए गए उस परिपत्र को रद्द करने की मांग की, जिसमें सरकारी स्कूलों को रोहिग्या शरणार्थियों के बच्चों को दाखिला देने से रोकने का प्रावधान किया गया है।

प्रीबजट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, 25-26 में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच तय कर चुकी है कि ऐसे मामलों में यदि अदालत जमानत देती है तो उसे यह बताना

होना चाहिए कि संबंधित आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, जबकि इस मामले में आरोपी के खिलाफ ईडी की प्रसंज्ञान ले चुका है। इसके अलावा, कोई भी आरोपी यह नहीं कह सकता कि उसके सह आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उसे जमानत दी जाए। ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि, सर्वेक्षण यह मूल्यांकन नहीं करता कि ए.आर.एम. में हो रहे नए विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ-सेवा निर्यातों (सर्विस एक्सपोर्ट्स) पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। आई टी सक्षम सेवाएँ ए.आर.एम. से गंभीर रूप में प्रभावित हो सकती हैं, जो भारत के सेवा निर्यातों के कई मुख्य क्षेत्रों को अनावश्यक व बिकार बना सकती हैं। भारत को इस नए परिवेश में स्वयं को पुनः समायोजित करना होगा।

सर्वेक्षण अनुमान करता है कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष में भारत का जी.डी.पी. 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ेगा। अनुमानित वृद्धि दरें महामारी

से पहले के वर्षों के मुकाबले कम हैं। आशावादी कारक यह है कि पूंजीगत व्यय में साल दर साल आठ प्रतिशत वृद्धि हुई है और घरेलू खपत खर्च में भी मजबूती है। सर्वेक्षण इस बात को लेकर आशावादी है कि समग्र महंगाई (ओवर ऑल इन्फ्लेशन) लक्षित सीमा (टारगेटेड रेंज) के भीतर रहेगी, क्योंकि महंगाई का मुख्य कारण सिर्फ कुछ खाद्य वस्तुएँ हैं। इकोनॉमिक सर्वे देश में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास और कार्यकुशलता में वृद्धि के प्रति आशावादी है। सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था में “डीरगोलेशन” (सरकारी नियमों और नियंत्रण को कम करना) की आवश्यकता को रेखांकित किया है, ताकि जमीनी स्तर के आर्थिक खिलाड़ियों को मुक्त किया जा सके और उनकी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। डीरगोलेशन की अपनी नई रणनीति में सर्वे ने नई पहलों के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेवार बनाया है। संवाददाताओं को

विवास की तरह, नई तकनीकी अक्सर शॉर्ट टर्म में रोजगार हानि का कारण बन सकती हैं। अन्ततः, नई तकनीकी प्रगति उत्पादकता में सुधार करके विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार उत्पन्न करती है। इन तकनीकी उत्पादों को लागू करने से पहले इनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जैसा कि सर्वेक्षण ने सुझाया है। नई तकनीकी प्रगति के साथ-साथ, सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था में “डीरगोलेशन” (सरकारी नियमों और नियंत्रण को कम करना) की आवश्यकता को रेखांकित किया है, ताकि जमीनी स्तर के आर्थिक खिलाड़ियों को मुक्त किया जा सके और उनकी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। डीरगोलेशन की अपनी नई रणनीति में सर्वे ने नई पहलों के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेवार बनाया है। संवाददाताओं को

जानकारी देते हुए, डॉ.जी. अनंता नागेश्वरन ने जोर देकर कहा कि नए रिफॉर्म और डीरगोलेशन बड़े स्तर के सुधारों की तरह नहीं होने चाहिए। ये सूक्ष्म सुधार होंगे, जो वर्तमान में छोटे और मध्यवर्ती स्तर के उद्यमों को कार्यकुशलता को सीमित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो राज्य, जो ग्राउंड-लेवल डीरगोलेशन में कमी कर चुके हैं, वहाँ तेजी से विकास हुआ है। ये सूक्ष्म स्तर के नियम, कानून और नियंत्रण व्यापार संचालन को लागत को बढ़ाते हैं और रोजगार के विकास को भी प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में ग्राउंड-लेवल डीरगोलेशन इस तरह के हैं कि व्यवसाय पहली मंजिल से ऊपर की जगह का उपयोग कर सकते हैं, जबकि ग्राउंड-लेवल को पार्किंग के लिए आरक्षित किया जाता है।

कांग्रेस सरकार के “जल जीवन मिशन” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल जीवन मिशन को पिछली कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर देरी से शुरू किया। इस योजना में घोटालों के कारण राजस्थान की साख देश भर में खराब हुई। हमारी सरकार के वक्त इस योजना के काम में प्रगति हुई है। गांव-गांव में पानी पहुँचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में ‘रामजल सेतु लिंक परियोजना के एम.ओ.यू. का आदान-प्रदान किया गया। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य शुरू कर दिया

है।

कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण अक्टूबर-2024 में पूरा कर लिया है। इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास के अतिरिक्त राजस्थान में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 28.16 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

इससे 14517 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। भारत सरकार, हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए समझौते के आधार पर, सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में यमुना नदी का जल लाने की दिशा में राजस्थान सरकार आगे बढ़ रही है। जल संरक्षण के लिए प्रदेश के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में अटल भूजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें 1132 ग्राम पंचायतों में 45.9 करोड़ रुपये से जल संरक्षण व संवर्द्धन के कार्य कराए गए हैं।

सरकार ने 6091 करोड़ रुपये व्यय कर 11.17 लाख परिवारों को ‘नल से जल’ उपलब्ध कराया है। अब तक 30 वृहद परियोजनाओं और 1618 लघु परियोजनाओं को पूर्ण कर 49.51 गांवों को लाभान्वित किया गया है। बाड़मेर में नर्मदा नहर आधारित 2 वृहद परियोजनाओं तथा जोधपुर व फलोदी में जल जीवन मिशन के तहत, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आधारित 4 वृहद पेयजल परियोजनाओं से 592 गांवों को लाभान्वित किया है। इस पर 927 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने “राष्ट्रिय राजस्थान समित” के साथ प्रदेश में 35 लाख करोड़ के निवेश की बुनियाद रखी है। हमारी सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन

डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। इससे राजस्थान का औद्योगिक विकास होगा। गुजरात में जिस तरह “विाड्रेट गुजरात” के जरिर देश-विदेश का निवेश आया, उसी तरह राइजिंग राजस्थान में भी 32 देशों के प्रतिनिधि आए।

राज्यपाल बागड़े ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार को सदन में पेशते हुए कहा कि, “मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली सरकार के वक्त प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। हमारे थर्मल प्लांट परियोजनाओं की कमी से जुझते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी सरकार ने केन्द्र के मार्गदर्शन और छत्तीसगढ़ के साथ परसा इंस्ट्र कॉल व्हाईक के साधन को खरन फिर से शुरू कवाया, जिससे आज हमारे थर्मल पावर प्लांट को भरपूर कोयला मिल रहा है।